(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Law, Justice and Legislative Affairs Department)
8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110 002

No.F.14(33)/-LA-2000-03/ 1099 Dated: the 2 July, 2003

NOTIFICATION

No.F.14(33)/LA-2000-03/ – The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 13.6.2003 and is hereby published for general information.

"The Delhi Official Languages Act, 2000 (Delhi Act No. 8 of 2003)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi 3.4.2000)

An Act to provide for adoption of Hindi in Devnagri script as the first official language and Punjabi in Gurmukhi script and Urdu in Persian script as the second languages to be used for the official purposes and other matters of the National Capital Territory of Delhi.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Fifty First year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Delhi Official Language Act, 2000.
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,
(a) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
(b) "Government" means the Government of National Capital Territory of Delhi.
(c) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

CVS

Hindi to be official language of Delhi

3. Hindi in Devnagri script shall, with effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf, be the official language of Delhi.

Provided that the English language may continue to be used for those administrative and legislative purposes in Delhi for which it was being used before the commencement of this Act in consonance with the provisions contained in Section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):

Provided further that a translation of any Bill introduced in, or Act passed by, the Legislative Assembly or of ordinances promulgated by the Lt. Governor of Delhi or of any order; rule, regulation or bye-law issued under any law made by the Parliament or the Legislative Assembly or any other state law extended to Delhi published under the authority of the Lt. Governor of Delhi in the official Gazette, shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English, Punjabi & Urdu languages under this Act.

Punjabi and Urdu to be second official languages of Delhi

4. Punjabi in Gurmukhi script and Urdu in Urdu script shall be the second official language of Delhi for the following purposes; namely :-

(a) Receipt and reply of applications and petitions by all offices of Government of NCT of Delhi in Urdu or Punjabi.

(b) Publication of the translation of important Government rules, regulations and Gazette notifications in Urdu and Punjabi also.

(c) Signboards of official buildings, Government offices and roads etc. will bear the names in Urdu and Punjabi also.

(d) Publication of important Government advertisements in the News Papers in Urdu and Punjabi also.

(e) Proceedings of Legislative Assembly will be recorded and issued simultaneously in Urdu and Punjabi also wherever required.

Form of numerals

5. The form of numerals to be used for the official purpose of Delhi shall be the international form of Indian numerals.

LVS

Power to make rules

6.(1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the manner of translation of the authoritative text in Hindi language of Bills etc. in English, Punjabi and Urdu languages;

(b) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made,before the House of the Legislative Assembly, while it is in Session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

2/7/03

(P.S.PARMAR),

Deputy Secretary(Law,Jus.& L.A.).

दिल्ली राजपत्र भाग –4 (असाधारण) में प्रकाशानार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली ।

सं. फा. 14(33)वि.कार्य – 2000 – 03/1099 दिनांक 2 जुलाई,, 2003

अधिसूचना

संख्या : फा. 14(33)/वि.कार्य –2000–03 :– राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 13.6.2003 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :–

"दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 (दिल्ली अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2003)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 3 अप्रैल, 2003 को यथा पारित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों एवं अन्य विषयों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रथम भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी और द्वितीय भाषाओं के रूप में गुरूमुखी लिपि में पंजाबी और फारसी लिपि में उर्दू को स्वीकृत कराने हेतु एक अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के इक्यावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:–

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 कहा जाए।

(2) यह सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तारित है।

(3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएँ

2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में:–

(क) ''दिल्ली'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;

(ख) ''सरकार'' का अर्थ है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त और अनुच्छेद 239 क क में उल्लिखित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल;

(ग) ''विधानसभा'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा।

हिन्दी का दिल्ली की राजभाषा होना

3. समय–समय पर अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दिल्ली की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी उस तिथि से होगी जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

बशर्ते कि दिल्ली में अंग्रेजी भाषा उन प्रशासनिक एवं विधायी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप प्रयोग की जाती रही थी।

आगे शर्त है कि विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक या पारित अधिनियम अथवा दिल्ली के उप–राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अथवा संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गये किसी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किसी आदेश, नियम, विनियम अथवा उपविधि का अनुवाद अथवा सरकारी राजपत्र में दिल्ली के उप–राज्यपाल के प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशित दिल्ली में विस्तारित कोई अन्य राज्य कानून इस अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में इसका प्राधिकृत पाठ होगा।

पंजाबी एवं उर्दू दिल्ली की दो द्वितीय राजभाषाएँ होगा

4. समय–समय पर सरकार द्वारा उन प्रयोजनों के लिए जो सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें, दिल्ली की द्वितीय भाषाएँ गुरुमुखी लिपि में पंजाबी तथा फारसी लिपि में उर्दू होगी। इस प्रयोजन के लिए सरकार उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त कर सकती है।

अंकों का स्वरूप

5. दिल्ली के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप अंकों का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।

नियम बनाने की शक्ति

6. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकते हैं, यथा

(क) विधेयकों इत्यादि के अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ का हिन्दी, पंजाबी तथा उर्दू भाषाओं में अनुवाद की रीति ;

(ख) कोई अन्य विषय जो विहित है अथवा किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे वह एक दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अवधि के अन्तर्गत यदि सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

P. Parmar 2/7/13

(पी·एस·परमार),

उप सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

Most/Urgent/Out Today
Gazette Notification Extra-ordinary (Part-IV)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)
8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.

No.F.14(33)/LA-2000/03/ Dated the Sept.,2003

To

The Jt. Secretary (GAD/Co-ordination),
Govt. of NCT of Delhi,
2nd Level,'A' Wing, Delhi Sectt.,
I.P. Estate,
New Delhi – 110002.

Sub: **Gazette Notification of Corrigendum of Hindi version of The Delhi Official Language Act, 2000 (Delhi Act No. 8 of 2003).**

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the above notification (Hindi version only) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV) Extra-ordinary today itself. It is requested that at least 10 copies of the same may be sent to this Department as soon as it is received from the press.

Yours faithfully,

Dy. Secretary (Law, Jus. & L.A.)

Encl: As above

No.14(33)/LA-2000/03/ 1416 Dated the 05 Sept., 2003

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Sh. Vikram Dev Dutt, Dy. Secretary to the Govt. of India., Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to his letter No. U-11019/17/2000-UTL dated 27.6.2003
2. Secretary to Lt. Governor, Delhi Raj Niwas, Delhi – 110054.
3. Secretary (Legislative Assembly) Old Sectt., Delhi-110054 with 70 extra copies for circulation amongst the MLAs, Delhi Legislative Assembly.
4. Secretary to the Chief Minister, Delhi Sectt., New Delhi
5. Secretary to Language, Art & Culture, 7th Level, C Wing, Delhi Sectt., New Delhi
6. Pr. Secretary (GAD), Delhi Sectt., New Delhi
7. O.S.D. to Chief Secretary, Delhi Sectt., New Delhi.
8. Library-in-charge, Delhi Vidhan Sabha, Old Sectt., Delhi
9. Shri N.G. Goswami, Legislative Counsel, Law Department, Delhi Sectt., New Delhi
10. P.S. to Secretary (Law, Jus.& L.A.), Delhi Sectt., New Delhi.

(P.S. Parmar)
Dy. Secretary (Law,Jus. & L.A.)

दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली.

सं0फा0 14(33)/वि0कार्य/2000–03 दिनाकः सितम्बर, 2003.

शुद्धि पत्र

सं0फा0 14(33)/वि0कार्य/2000–03:– इस सरकार की दिनांक 2जुलाई, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. हिन्दी रूपान्तर के प्रथम पृष्ठ की पांचवी पंक्ति कोष्ठक में की जाए,

धारा 2 के भाग (ख) में संशोधन	1. धारा–2 के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् 2. "सरकार" का अर्थ है **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की** सरकार से है।
धारा 3 का संशोधन	धारा 3 के पहले पैरे का सबसे पहला वाक्यांश **"समय–समय पर अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये"** हटाया जाएगा। नियम 3 के अन्तिम पैरे के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **"आगे शर्त है कि विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक या पारित अधिनियम अथवा दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अथवा संसद या विधानसभा द्वारा बनाने गये किसी कानून अथवा सरकारी राजपत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल के प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशित दिल्ली में विस्तारित किसी अन्य राज्य के कानून के अन्तर्गत जारी किसी आदेश, नियम, विनियम अथवा उपविधि का अनुवाद इस अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में इसका प्राधिकृत पाठ मान लिया जायेगा।"**
धारा 4 का संशोधन	उक्त अधिनियम की नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 4 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

पंजाबी और उर्दू दिल्ली की द्वितीय राजभाषाएं	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए गुरूमुखी लिपि में पंजाबी तथा फारसी लिपि में उर्दू दिल्ली की द्वितीय भाषाएं होंगी; अर्थात् :– "(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करने और इनके उत्तर देना। (ख) महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन। (ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी में भी होंगे। (घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार–पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन। (ङ) जहाँ कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्रवाही उर्दू और पंजाबी में अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ–साथ जारी की जाएगी।"
धारा 6 में संशोधन	इस धारा की उपधारा 2 के खंड (क) व (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :– "(क) विधेयकों इत्यादि के हिन्दी भाषा के प्राधिकृत पाठ का अंग्रेजी, पंजाबी तथा उर्दू भाषाओं में अनुवाद की रीति; (ख) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित है अथवा निर्धारित किया जा सकता है।"

आदेश से

(पी0 एस0 परमार)
उप सचिव (विधि न्याय व विधायी कार्य)
दिल्ली सरकार